

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, खरगोन सामान्य वनमंडल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फ़ैक्स : 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.gov.in

खरगोन, दिनांक/14-6-2022

क्रमांक/मा.चि./2022/4578

प्रति,

सहायक यंत्री (सं./सं.),

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,

उप संभाग, भीकनगांव

- विषय :- वनक्षेत्र अन्तर्गत विद्युत लाईन विस्तार कार्य हेतु अनुमति प्रदाय करने बाबद्।
- संदर्भ :-1. आपका पत्र क्रमांक/844/स.यं./सं./सं./2022-23 दिनांक 09.05.2022। इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 23.05.2022।
2. इस कार्यालय में पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/152089/2022 ऑनलाईन प्राप्त दिनांक 27.05.2022।

संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित योजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव भारत सरकार की वेब पोर्टल पर ऑनलाईन प्रेषित कर संशोधित प्रस्ताव की हार्डकापी अनुमति दिये जाने के संबंध में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-14/2005/10-3 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के प्रकरणों में आवेदक संस्था से पंजीयन शुल्क राशि रुपये- 1000/- प्रति प्रस्ताव तथा 50.00 हे. तक के प्रकरणों में प्रोसेसिंग शुल्क रुपये- 5000/- वसूल किये जाने के प्रावधान है। अतः विषयांकित योजना में निम्नानुसार राशि का डिमांड ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल खरगोन के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अ.क्र	म.प्र. शासन के विभाग/उपक्रम के प्रकरण	शुल्क (रुपये)
1	पंजीयन शुल्क	1000/-
2	प्रोसेसिंग शुल्क	5000/-
योग:-		6000/-

स्मरण होवे कि उपरोक्तानुसार जमा कराई गई पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

(प्रशांत कुमार सिंह)

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी,

07C सामान्य वनमंडल, खरगोन

खरगोन दिनांक 14-6-2022

पृष्ठां क्रमांक/मा.चि./2022/4578

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

07C सामान्य वनमंडल खरगोन

13/6